बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 208 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 19 अगस्त 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

संजय सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, यूपी में 105 प्राइमरी स्कूल बंद करने को दी थी चुनौती

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 105 सरकारी प्राथमिक विद्यालय बंद करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि चूंकि यह मामला पहले से ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए वही अदालत इस पर फैसला लेगी। मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि स्कूल बंद करने से हजारों बच्चों की शिक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मामला गंभीर है और हाईकोर्ट को इसे प्राथमिकता से निपटाना चाहिए। राज्य सरकार ने 16 जून और 24 जून को आदेश जारी कर 105 प्राथमिक विद्यालय बंद करने या उन्हें पास के अन्य स्कूलों से जोड़ने का फैसला किया।

पूरे शहर को लकवा मार जाता है... दिल्ली की बारिश पर बोले चीफ जस्टिस

नई दिल्ली। दिल्ली में बरसात से होने वाले हालात पर सीजेआई बी आर गवई ने सोमवार को बड़ी टिप्पणी की. चीफ जस्टिस ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा, दिल्ली में आप जानते हैं कि क्या होता है. अगर दो घंटे बारिश हो जाए तो पूरा शहर लकवाग्रस्त हो जाता है. उन्होंने ट्रैफिक जाम की समस्या को भी गंभीर बताया. सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एक हाईवे पर 12 घंटे लगे जाम पर भी सवाल उठाया. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, तो वो टोल क्यों दे. सीजेआई गवई ने ये टिप्पणी केरल के त्रिशूर जिले में एनएच 544 के एक टोल प्लाजा के मामले में सुनवाई के दौरान की.दरअसल हाईकोर्ट ने हाईवे की खराब हालत के कारण टोल वसूली को निलंबित कर दिया था.केरल हाईकोर्ट के इस फैसले को एनएचआईए ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने एनएचआईए की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. सोमवार को सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने पिछले हफ्ते इस हाइवे 12 घंटे से ज्यादा समय तक लगे भारी यातायात जाम का बार-बार जिक्र किया. जस्टिस चंद्रन ने एनएचआईए से कहा कि आपने कल का अखबार देखा - #12 घंटे तक यातायात बाधित रहा. सर तुषार मेहता ने कहा - यह एक्ट ऑफ गॉड था, एक लॉरी गिर गई थी.जस्टिस चंद्रन ने कहा कि लॉरी अपने आप नहीं गिरी. वह एक गड्ढे में गिर गई और पलट गई . एसजी ने कहा कि एनएचआईए ने उन जगहों पर वैकल्पिक रास्तों के तौर पर सर्विस रोड का निर्माण किया है, जहां अंडरपास का निर्माण चल रहा है; हालांकि, मानसून के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ. इस मौके पर, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने पूछा कि 65 किलोमीटर के इस हिस्से के लिए टोल की कीमत क्या है. यह बताए जाने पर कि यह 150 रुपये है, मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि अगर किसी व्यक्ति को सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, तो उसे 150 रुपये क्यों देने चाहिए? -जिस सड़क पर एक घंटा लगने की उम्मीद है, उसमें 11 घंटे और लग जाते हैं और उन्हें टोल भी देना पड़ता है. तब सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि एक फैसले में कहा गया है कि ऐसे मामले में, टोल न लगाने के बजाय, आनुपातिक रूप से टोल में कमी होनी चाहिए. जस्टिस चंद्रन ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की कि 12 घंटे के जाम के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग को यात्रियों को कुछ भुगतान करना चाहिए.

अगर यातायात नहीं होगा तो इस हिस्से को तय करने में अधिकतम एक घंटा लगेगा. अगर यातायात होगा तो अधिकतम तीन घंटे लगेंगे. 12 घंटे के लिए आनुपातिक कटौती का कोई सवाल ही नहीं है. सर तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने सड़क का एक वीडियो भी रखा. सीजेआई गवई ने कहा कि कोस्टल एरिया में मानसून के दौरान हालात और भी खराब हो जाते हैं. मामले में पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट के ई गेट का हवाला दिया कि यहां हमेशा ट्रैफिक होता है. वकीलों को कोर्ट में जाने में घंटाभर लग जाता है.

इस पर सीजेआई गवई ने कहा कि दिल्ली की तो जानते हैं .. अगर दो घंटे बारिश हो जाए तो पूरा शहर लकवाग्रस्त हो जाता है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया. 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केरल के त्रिशूर जिले के पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर टोल वसूली स्थगित करने के केरल हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के प्रति अनिच्छा जताई थी. मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 544 के एडापल्ली-मन्नुथी खंड की खराब स्थिति का हवाला दिया. पीठ ने कहा कि आप लोगों से टोल लेते हैं और सेवाएं नहीं देते सर्विस रोड का रखरखाव नहीं किया जाता. जस्टिस चंद्रन ने एनएचआईए से कहा था कि अपील दायर करने और समय बर्बाद करने के बजाए आप कुछ करें. उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ के दौरान एम्बुलेंस को भी गुजरने में परेशानी होती है.केरल हाईकोर्ट ने छह अगस्त को टोल वसूली को चार सप्ताह के लिए स्थगित करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट में एनएचआईए की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि हाईकोर्ट के फैसले ने 'गलत तरीके से ठेकेदार कंपनी को एनएचआईए से नुकसान की वसूली करने की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि परिचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) अनुबंध के तहत रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है.

जिस बैठक में पत्नी का नाम चुना गया, उसमें पति का होना संदेहास्पद,एमयू वीसी नियुक्ति पर सुप्रीम टिप्पणी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति के मामले पर सुनवाई करते हुए कुछ सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस बैठक में पत्नी का नाम चुना गया, उस बैठक में पति और तत्कालीन वाइस चांसलर का मौजूद रहना संदेह पैदा करता है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने प्रोफेसर मुजफ्फर उरूज रब्बानी और प्रोफेसर फैजान मुस्तफा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही।

कपिल सिब्बल ने दी ये दलील

याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में प्रोफेसर खातून की वीसी पद पर नियुक्ति को बरकरार रखा था। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस कार्यकारी परिषद की बैठक में प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति पर फैसला किया गया, उस बैठक की अध्यक्षता प्रोफेसर नईमा के पति और तत्कालीन वाइस चांसलर मोहम्मद गुलरेज द्वारा की गई थी। सिब्बल ने कहा कि अगर कुलपतियों की नियुक्ति इस तरह होती है तो भविष्य में क्या होगा मैं सोचकर ही कांप जाता हूं। सिब्बल की दलील पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भी माना कि जिस बैठक में प्रोफेसर नईमा को कुलपति चुना गया, उसमें उनके पति मोहम्मद गुलरेज को शामिल नहीं होना चाहिए था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में कहा है कि बेहतर होता कि मोहम्मद गुलरेज उस बैठक में शामिल नहीं होते। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुलपति का खुद को सुनवाई से अलग कर लेना उचित होता। हालांकि उन्होंने टाटा सेल्युलर मामले में दिए गए आवश्यकता के सिद्धांत का हवाला दिया और कहा कि जब भागीदारी कानूनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हो, तो प्रक्रिया को दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

सैन्य प्रशिक्षण में दिव्यांग हुए नौजवानों की सुध लें, कोर्ट बोला- 40 हजार से नहीं चलता काम

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और सेना से उन कैडेट्स की स्थिति पर जवाब मांगा है जिन्हें सैन्य प्रशिक्षण के दौरान गंभीर चोट या दिव्यांगता के कारण मेडिकल आधार पर बाहर कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि इन युवा कैडेट्स की हालत बेहद चिंताजनक है और सरकार को उनके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने केंद्र से पूछा कि क्या ऐसे कैडेट्स के लिए बीमा योजना शुरू की जा सकती है। अदालत ने कहा कि जब ये युवा कठिन और जोखिम भरे प्रशिक्षण से गुजरते हैं तो उनकी सुरक्षा की भी गारंटी होनी चाहिए। अभी कैडेट्स को केवल 40,000 रुपये तक का एक्स-ग्रेशिया (सहानुभूति राशि) दिया जाता है, जो कि उनकी चिकित्सा जरूरतों के लिए काफी कम है। अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि केंद्र सरकार इस राशि को बढ़ाने पर विचार करे ताकि घायल कैडेट्स का सही इलाज हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह भी सुझाव दिया कि जो कैडेट्स दिव्यांग हो जाते हैं, उन्हें पूरी तरह से बाहर करने के बजाय रक्षा सेवाओं से जुड़े अन्य कामों जैसे डेस्क जॉब या प्रशासनिक कामों में शामिल किया जाए। अदालत ने कहा- हम चाहते हैं कि बहादुर कैडेट्स सेना में बने रहें। हम नहीं चाहते कि चोट या दिव्यांगता उनके करियर में बाधा बने। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला 12 अगस्त को स्वतः संज्ञान में लिया था। यह कदम एक मीडिया रिपोर्ट के बाद उठाया गया, जिसमें बताया गया था कि 1985 से अब तक लगभग 500 कैडेट्स को मेडिकल आधार पर बाहर किया गया है। इनमें से यादातर कैडेट्स आज भी महंगे इलाज के बोझ से जूझ रहे हैं, जबकि उन्हें केवल सीमित आर्थिक मदद मिल रही है। रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) में ही 2021 से जुलाई 2025 के बीच लगभग 20 कैडेट्स को मेडिकल आधार पर बाहर किया गया। इन कैडेट्स की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें एक्स-सर्विसमैन (पूर्व सैनिक) का दर्जा नहीं मिलता। अगर उन्हें यह दर्जा मिल जाता, तो वे पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के तहत फ्री इलाज पा सकते थे। लेकिन मौजूदा नियमों के अनुसार, चूंकि ये कैडेट्स ऑफिसर के तौर पर कमीशन होने से पहले ही बाहर कर दिए जाते हैं, इसलिए वे इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं।

बुराड़ी में सड़क धंसी और बड़े गड्ढे में गिरी कार, बारिश के बाद हालात बिगड़े

नई दिल्ली । दिल्ली में लगातार तीन दिनों से हो रही बारिश ने सड़कों की हालत बेहद खराब कर दी है. कहीं जल जमाव तो कहीं सड़कें जाम से लोग परेशान रहे. वहीं सोमवार को अचानक सड़क धंसने से बीच में बड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें एक कार फंस गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में सड़क का आधा हिस्सा गड्ढा बन गया है जिसमें सफेद रंग की कार धंसी हुई है.

हादसे ने राजधानी की सड़कों की जर्जर स्थिति और बारिश के बाद बिगड़े हालात की गंभीरता को सामने ला दिया है. दिल्ली में सड़क हादसे और जलभराव की समस्याओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है. आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सख्त बयान दिया और कहा कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अलकनंदा और ग्रेटर कैलाश जैसे इलाकों के बड़े स्कूलों के सामने कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. भारद्वाज ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही से पहले भी कई बच्चों की मौत हो चुकी है, कभी पेड़ गिरने से, कभी दीवार गिरने से और कभी बिजली का खंभा टूटने से। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन तुरंत सतर्क नहीं हुआ तो ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं. इस बीच मौसम विभाग ने सोमवार को राजधानी में बादल छाए रहने और एक-दो बार हल्की बारिश होने की संभावना जताई है. पीटीआई के अनुसार, सुबह न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 1.7 डिग्री कम है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है. सुबह 8.30 बजे आर्द्रता का स्तर 97 प्रतिशत दर्ज किया गया. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 77 रहा, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार, 51 से 100 के बीच का एक्यूआई संतोषजनक माना जाता है.

दिल्ली में डेंगू के मामले 300 पार, मलेरिया ने भी बढ़ाई चिंता

नई दिल्ली । राजधानी में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक डेंगू के 315 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और प्रति सप्ताह 20 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में संक्रमण और तेजी से फैलने की आशंका है। पिछले सप्ताह ही 24 नए डेंगू के मामले दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि मानसून सीजन और पानी जमने के कारण डेंगू के प्रजनन स्थलों में वृद्धि हुई है। यही वजह है कि मामलों में तेजी देखी जा रही है। केवल डेंगू ही नहीं, बल्कि मलेरिया भी राजधानी में चिंता का कारण बनता जा रहा है। अभी तक मलेरिया के 148 मामले दर्ज हो चुके हैं। मलेरिया के एपिसोड्स और बढ़ते संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं और गहरा दी हैं। चिकित्सकों का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए साफ-सफाई पर जोर देना और मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करना ही सबसे कारगर उपाय है।

स्व. गुरु धर्मपाल यादव के ऐतिहासिक अखाड़े में गूंजा मासिक ईनामी दंगल

नई दिल्ली (ए.के.चौधरी)श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व गोगा नवमी के पावन अवसर पर दिल्ली रेसलिंग एसोसिएशन एवं यमुना युवक केंद्र का संयुक्त आयोजन स्व. गुरु धर्मपाल यादव (विश्व दंड चैंपियन) की स्मृति और उनके ऐतिहासिक अखाड़ा घाट नंबर 2, जमना बाजार में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी एवं गोगा नवमी के पावन अवसर पर मासिक ईनामी दंगल का भव्य आयोजन किया गया।

दंगल के संचालक अजय यादव, मन्नू पहलवान ने जानकारी दी कि इस ऐतिहासिक अखाड़े पर अब प्रत्येक माह नियमित रूप से दंगल आयोजित किया जाएगा, ताकि पहलवानी की परंपरा जीवित रहे और नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले। आयोजन दिल्ली रेसलिंग एसोसिएशन (भारतीय शैली) एवं यमुना युवक केंद्र द्वारा किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि पं. वैभव शर्मा (मरघट वाले बाबा) एवं महेंद्र भास्कर (चेयरमैन) उपस्थित रहे, जिन्होंने पहलवानों को आशीर्वाद व पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौ. राजसिंह (भारत केसरी, गढ़ी सांपला) ने की विशिष्ट अतिथि के रूप में नगम पार्षद, लोनी), युवा नेता किया गया। समारोह में चौ. पुरुषोत्तम इंदौरिया, गुरु महावीर सिंह,

और संचालन की कमान खलीफा अजय यादव ने संभाली। नवीन कुमार त्रिपाठी (एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट), प्रमोद कुशवाह (पूर्व कमल गाजी, राकेश जैन, ख. मदन एवं ख. सचिन का हार्दिक स्वागत श्यामसिंह टांक, चौ. भोला पहलवान, किरणपाल तोमर, ख. पतराम टांक, ख. सरजू एवं निखिल यादव उपस्थित रहे।

गुरु, उस्ताद, खलीफा, दलपति एवं तालीमपति का विशेष सम्मान चौ. वरुण टांक व राहुल चिंडालिया द्वारा किया गया।मंच संचालन- नरेंद्र सिंह ओहल्यान माइक संचालन- संजय सूद (बाबू भाई) रेफरी- गौरव सहरावत, सूरज सहरावत एवं जोगिंदर मलिक

इस दंगल में कुल 100 रोमांचक कुश्तियों आयोजित की गईं, जिनमें दर्शकों ने तालियों और नारों से पहलवानों का उत्साहवर्धन किया। मुख्य मुकाबले में हुसैन (सुभाष अखाड़ा) ने शानदार जीत दर्ज की। तेजस व भोला (गुरु ब्रह्मचारी) ने अपने दमदार प्रदर्शन से खूब वाहवाही बटोरी। महिला कुश्ती में फरूटी, कशिश, मान्या व बरखा ने जीत दर्ज कर नई मिसाल पेश की। बाल पहलवानों मनवीर व नोनू (गुरु ब्रह्मचारी) ने अपनी बेहतरीन कुश्तियों से समा बाँध दिया। इस आयोजन में दिल्ली व आसपास के सभी प्रमुख अखाड़ों के पुरुष और महिला पहलवानों ने उपस्थिति दर्ज कराई। दंगल न केवल सफल रहा बल्कि पहलवानों में नए उत्साह, उमंग और जोश का संचार भी हुआ

एसआईआर ; एक लड़ाई तीन मोर्चे- सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट

अनिल जैन

बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण अब देश का प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है। संसद और बिहार विधानसभा के बाद अब विपक्ष पूरी तरह सड़क पर उतर गया है और आज 17 अगस्त से बिहार में तो वोटर अधिकार यात्रा भी शुरू हो गई है। जिसकी शुरुआत तस्वीरों में तो इंडिया ब्लॉक ने एक बड़ी एकजुटता और ताकत का संकेत दे दिया है। यानी यह लड़ाई सड़क, संसद-विधानसभा और सुप्रीम कोर्ट तीनों मोर्चों पर जारी रहेगी। भाजपा नेता और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू तर्क दे रहे हैं कि चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि चुनाव आयोग भारत सरकार के किसी विभाग के अधीन नहीं आता है। यह अलग बात है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करता है, जिसमें प्रधानमंत्री, उनकी सरकार के एक मंत्री और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष सदस्य होते हैं। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि संसद में इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। हालांकि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत ही एसआईआर पर सर्वदलीय चर्चा से हुई। विस्तार से हुई इस चर्चा में विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव सहित कई नेता इस पर बोले तो सरकार की ओर से राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी ने बहुत विस्तार इसका जवाब दिया। उन्होंने तमाम तथ्य सदन के सामने रखे और विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। ध्यान रखने की जरूरत है कि यह चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं है, बल्कि उसके एक अभियान पर चर्चा है, जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। इसके बावजूद अगर सरकार चर्चा नहीं करा रही है तो इसका मतलब है कि वह एसआईआर से जुड़े सवालों के जवाब से बचना चाहती है।

रूडी ने बालियान को नहीं शाह को हराया!

कांस्टीट्यूशन क्लब के सचिव (प्रशासन) पद के हाई प्रोफाइल चुनाव में भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर विजयी रहे। उन्होंने सीधे मुकाबले में अपनी ही पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को एक सौ से ज्यादा वोट से हराया। रूडी ने सिर्फ खुद जीते बल्कि अन्य पदों पर उनका सर्वदलीय पैनल भी निर्विरोध जीत गया। कहने को तो यह महज एक क्लब का चुनाव था लेकिन इस सभी की नजरें इसलिए लगी हुई थी, क्योंकि संजीव बालियान को गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन हासिल था और उनकी तरफ से बालियान के चुनाव प्रचार की कमान सांसद निशिकांत दुबे ने संभाल रखी थी। रूडी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रहे थे और वे वाजपेयी के अलावा लालकृष्ण आडवाणी के प्रिय माने जाते थे। इसलिए जब संजीव बालियान ने चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया तो कहा गया कि यह चुनाव वाजपेयी-आडवाणी की भाजपा और मोदी-शाह की भाजपा के बीच है। इसीलिए चुनाव नतीजा आने पर कहा गया कि रूडी ने बालियान को नहीं बल्कि अमित शाह को मात दी है। रूडी को विपक्षी दलों के सांसदों और पूर्व सांसदों का भी समर्थन हासिल था लेकिन वे जिस बड़े अंतर से जीते है, उससे जाहिर हुआ है कि बालियान को अमित शाह का समर्थन होने के बावजूद भाजपा और सहयोगी दलों के सांसदों ने बड़ी संख्या में रूडी को वोट दिया। इसलिए इस चुनाव को भाजपा में बदलते माहौल का संकेत भी माना जा रहा है।

भारतीय नुकसान को छिपाना क्यों?

वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने पिछले शनिवार को बेंगलुरू में और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को चेन्नई स्थित आईआईटी मद्रास के एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कई तकनीकी पहलुओं के बारे में बताया। एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान को हुए नुकसान का ब्यौरा दिया। लेकिन किसी ने भारत को हुए नुकसान के बारे में कुछ भी नहीं कहा। एयर चीफ मार्शल ने तो यहां तक कहा कि पाकिस्तान का कोई भी विमान भारत के मिसाइल सिस्टम या विमानों के आसमान भी नहीं पहुंच पाया। सवाल है कि जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में अमेरिकी एजेंसी रायटर्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि नुकसान कितना हुआ यह अहम नहीं है, बल्कि यह जानना जरूरी है कि नुकसान क्यों हुआ। उन्होंने माना कि नुकसान हुआ। बाद में जकार्ता में भारत के डिफेंस अताशे कैप्टन शिवकुमार ने भी कहा कि नुकसान राजनीतिक नेतृत्व के फैसले की वजह से हुआ। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में रक्षा मंत्री कह कि परीक्षा में रिजल्ट अच्छा आए तो यह नहीं देखा जाता है कि कितनी पेंसिल टूट गई? यानी सरकार ने भी माना कि पेंसिल टूटी है। फिर कितनी पेंसिल टूटी, कौन सी टूटी, कैसे टूटी, इसके बारे में तो निश्चित रूप से बताया जाना चाहिए। युद्ध में दोनों तरफ का नुकसान होता है यह बहुत स्वाभाविक है। लेकिन पता नहीं क्यों कोई हकीकत बताने से कतराया जा रहा है?

दुर्गापूजा में भी बंगालियों के उत्पीड़न की थीम

इस बार पश्चिम बंगाल की दुर्गापूजा भी खास हो रही है। एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार दुर्गापूजा समितियों को पहले से 30 फीसदी ज्यादा अनुदान दे रही है और हर पंजीकृत पंडाल को एक लाख 10 हजार रुपए दिए जा रहे है तो दूसरी ओर पूजा पंडालों में बांग्ला भाषियों के उत्पीड़न की थीम पर मां दुर्गा की मूर्तियां बन रही हैं और पंडाल डिजाइन किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि हर साल पश्चिम बंगाल की दुर्गापूजा के पंडालों में राज्य की जनता का मूड दिखाई देता है। जो भी लोकप्रिय धारणा होती है वह दुर्गापूजा के पंडालों और मूर्तियों से दिखाई जाती है। अगर इस बार बांग्ला भाषियों के उत्पीड़न का मामला हावी है तो इसका मतलब है कि लोकप्रिय भावना इससे प्रभावित हो रही है। ध्यान रहे अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उससे पहले बनर्जी ने बांग्ला भाषा और बांग्ला अस्मिता का मुद्दा बनाया है। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में बांग्लादेशी के नाम पर बांग्ला बोलने वालों को प्रताड़ित करने का मुद्दा बनाया है। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश के नोएडा में काफी बांग्ला भाषी लोग पकड़े गए हैं। ऐसी खबर है कि तो दिल्ली पुलिस ने बंग भवन को चिट्ठी भेज दी, जिसमें लिखा था कि बांग्लादेशी भाषा बोलने वाले लोग पकड़े गए हैं। इसे ममता बनर्जी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। इसलिए इस मुद्दे का दुर्गापूजा पंडाल की थीम बनना भाजपा के लिए बड़ी चिंता और परेशानी की बात है।

राष्ट्रपति के एट होम' पर भी चुनावी रंग

राष्ट्रपति भवन में हर साल की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस पर एट होम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस बार के एट होम आयोजन पर आने वाले चुनावों का रंग साफ दिखा। राष्ट्रपति भवन की ओर से भेजे गए निमंत्रण और एट होम पार्टी के मेन्यू तक में इसकी झलक साफ दिखी। इस बार के एट होम कार्यक्रम की पूरी थीम पूर्वी भारत की सांस्कृतिक परंपराओं और खान पान से जुड़ी रही। यह संयोग है कि अगले तीन महीने में पूर्वी भारत के अहम राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और उसके बाद अगले साल अप्रैल, मई में दो पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव होने वाले हैं।

गौरतलब है कि पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गेट पर आयोजित एक फेस्टिवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिट्टी चोखा खाते हुए एक फोटो वायरल हुई थी। बिहार का यह लोकप्रिय व्यंजन राष्ट्रपति भवन के एट होम कार्यक्रम के मेन्यू में भी शामिल रहा। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कई लोकप्रिय व्यंजन जैसे आलू मटर चॉप, चने की घुघनी, आलू दम आदि मेन्यू में रहे। मिठाई में भी बंगाल के गुड़ संदेश से लेकर बिहार का अनरसा तक रखा गया। मेहमानों भेजे गए निमंत्रण पत्र भी इन राज्यों की छाप रही। बांस से बने निमंत्रण बॉक्स के फ्रेम को बिहार की एक खास किस्म की घास से बुना गया। इस पर बिहार, बंगाल, ओडिशा और झारखंड में प्रचलित चित्रकारी भी की गई। राष्ट्रपति भवन की ओर से भेजे गए निमंत्रण में भी पूर्वी राज्यों के मेहमानों को तरजीह दी गई।

सम्पादकीय...

'योमे-आजादी'

भारत, पाकिस्तान दोनों देशों ने अपना-अपना स्वाधीनता दिवस क्रमशः 15 अगस्त व 14 अगस्त को मना लिया। मगर इसी भारतीय उपमहाद्वीप के तीसरे भाग बांग्लादेश ने इन तारीखों को स्वाधीनता दिवस के रूप में नहीं मनाया, यद्यपि वर्ष 1971 से पूर्व वहां भी हर वर्ष 14 अगस्त को 'योमे-आजादी' अर्थात स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में विसंगतियों, विवादों व विरोधाभासों का सिलसिला अब भी जारी है। भारत के विभाजन के दौरान भारत में रह गई पाकिस्तान की संपत्ति को 'शत्रु सम्पत्ति' कहा जाता है। इस सम्पत्ति में वे सभी सम्पत्तियां शामिल हैं जो विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए लोगों द्वारा भारत में छोड़ी गई थी। इनमें मुहम्मद अली जिन्ना की मुम्बई-सम्पत्ति और परवेज मुशर्रफ की यूपी वाली सम्पत्ति शामिल है। इस सम्पत्ति में जमीन, घर, व्यवसाय, बैंक खाते और अन्य सम्पत्तियां शामिल हैं। भारत सरकार ने इन सम्पत्तियों को अपने नियंत्रण में ले लिया था और उनका उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था। आज भी भारत में शत्रु सम्पत्ति के मुद्दे को लेकर कई लोग सवाल उठाते हैं और उन पर पुनर्विचार करने की मांग करते हैं। भारत सरकार ने इन सम्पत्तियों का उपयोग विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे कि स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों के निर्माण के लिए किया है। कुछ मामलों में इन सम्पत्तियों को उन लोगों को वापस कर दिया गया है जो उन्हें छोड़ गए थे। शत्रु सम्पत्ति के मुद्दे पर कई तरह की कानूनी और राजनीतिक बहसें होती रहती है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 78 साल पहले हुआ था लेकिन सम्पत्ति के बंटवारे के कारण दोनों देशों के बीच वित्तीय दावे बकाया है। जब ब्रिटिश साम्राज्य ने देशों का बंटवारा किया तो लॉर्ड रैडक्लिफ ने नक्शे पर रेखाएं खींची थीं लेकिन सम्पत्तियों का बंटवारा बहुत मुश्किल बातचीत थी। सम्पत्तियों में चल-सम्पत्तियां जैसे कि कार्यालय का फर्नीचर और लाइट बल्ब से लेकर कार्मिक, सरकारी विभाग, रक्षा बल और केंद्रीय बल शामिल थे जिन्हें सावधानीपूर्वक विभाजित करने की आवश्यकता थी। आज भी दोनों देश दावा करते हैं कि दूसरे देश पर उनका पैसा बकाया है, जो बकाया राशि के भुगतान पर असहमति से उपजा है। जबकि भौगोलिक विभाजन हो गया था, सम्पत्ति का मामला बना रहा- न केवल मौद्रिक बल्कि कर्मियों और कलाकृतियों का भी। यह एक ऐसा विभाजन था जिस पर बातचीत करना बहुत कठिन होगा। इन सम्पत्तियों के बंटवारे को अलग-अलग गंभीरता से लिया गया। भारत के वायसराय की घोड़ा-गाड़ी का स्वामित्व सिक्का उछालकर तय किया गया, जिसमें भारत की जीत हुई। इस बग्गी को भारत के राष्ट्रपति के इस्तेमाल के लिए राष्ट्रपति भवन में तैनात किया गया था। सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक समारोहों में इसका इस्तेमाल बंद करने के तीन दशक बाद 2014 में में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस बग्गी का इस्तेमाल किया। विभाजन समझौते के भाग के रूप में पाकिस्तान को ब्रिटिश भारत की सम्पत्तियों और देनदारियों का 17.5 फीसदी प्राप्त हुआ लेकिन विभाजन वहीं समाप्त नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान के नए केंद्रीय बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक को नकदी शेष के निपटान के बारे में निर्णय लेना था। उस समय भारत के पास करीब 400 करोड़ रुपए थे जिसमें विभाजन परिषद ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक को 75 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसमें 15 अगस्त, 1947 को पाकिस्तानियों को अग्रिम रूप में उपलब्ध कराए गए 20 करोड़ रुपए का कार्यशील शेष शामिल था। स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों को एक ही केंद्रीय बैंक द्वारा सिर्फ एक वर्ष से अधिक समय तक सेवा दी गई जिसमें आरबीआई ने अगस्त 1947 से सितम्बर 1948 तक भार उठाया। मूल रूप से दोनों देशों को अक्तूबर 1948 तक केंद्रीय बैंक को साझा करना था लेकिन 55 करोड़ रुपए के भुगतान पर आरबीआई और पाकिस्तान सरकार के बीच संबंधों के तेजी से बिगड़ने के बाद विभाजन एक महीने के लिए आगे बढ़ गया। भारत और पाकिस्तान ने इस अवधि के दौरान मुद्रा भी साझा की, विशेषज्ञ समिति ने 31 मार्च, 1948 तक भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए मौजूदा सिक्का और मुद्रा जारी रखने का निर्णय लिया। अब 78 साल बाद भारत और पाकिस्तान दोनों दावा करते हैं कि दूसरे पक्ष पर उनका पैसा बकाया है। हर साल आर्थिक सर्वेक्षण में भारत 'केंद्र सरकार की बकाया देनदारियों' अनुभाग में 'विभाजन पूर्व ऋण के हिस्से के कारण पाकिस्तान से देय राशि' शीर्षक से एक पंक्ति परिश्रमपूर्वक जोड़ता है। लगभग 300 करोड़ रुपए का कर्ज था जो विभाजन के बाद से आगे बढ़ाया गया। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने 2014 में दावा किया कि आरबीआई द्वारा पाकिस्तान सरकार को कुछ सम्पत्तियां सौंपने से इन्कार करने के कारण भारत पर उसका 560 करोड़ रुपए बकाया है। आर्थिक सर्वेक्षण की तरह पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने भी अपनी बैलेंस शीट में एक पंक्ति जोड़ दी है जिसमें दावा किया गया है कि भारत के रिजर्व बैंक पर उसका पैसा बकाया है। मुद्रास्फीति, विनिमय दरों आदि के कारण बकाया राशि बढ़ गई है। विभाजन की सामान्य नौकरशाही दिनचर्या अब हास्यास्पद लगने लगी थी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के सेट के वैकल्पिक खंड प्रत्येक देश को भेजे गए। शब्दकोषों के मामले में उन्हें आधे में फाड़ दिया गया था जिसमें 'ए' से 'के' तक भारत और बाकी पाकिस्तान को दिया गया था। कोलिन्स और लैपियरे बताते हैं, 'माल के बंटवारे को लेकर बहस, सौदेबाजी और झगड़े शुरू हो गए।' 'विभाग प्रमुखों ने अपने सबसे अच्छे टाइपराइटर छिपाने या अपने टूटे हुए डेस्क और कुर्सियों को अपने प्रतिद्वंद्वी समुदाय को सौंपे गए टाइपराइटर से बदलने की कोशिश की। कुछ कार्यालय मूक बन गए, जिसमें प्रतिष्ठित लोग शामिल थे जो पानी के जार के बदले स्याही की बोतल, टोपी की खूंटी के बदले छतरी की रैक, चैंबर पॉट के बदले 125 पिन कुशन का सौदा करते थे। बर्तन, चांदी के बर्तन, राज्य के आवासों में चित्रों को लेकर बहस भयंकर थी। हालांकि, एक वस्तु पर चर्चा नहीं हो पाई। शराब के तहखाने हमेशा हिंदू भारत को मिलते थे और मुस्लिम पाकिस्तान को उसमें मौजूद चीजों का श्रेय मिलता था। ऐसे क्षुद्र व बेतलब विवाद के सिलसिले निरंतर जारी है।'

पुतिन ने पलट दी बाजी

अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। ऐसी आशंकाएं पहले ही व्यक्त की जा रही थीं कि इस बैठक से कुछ ठोस नहीं निकलने वाला। उधर बैठक खत्म हुई कि रूसी सेना ने यूक्रेन के दो और गांव पर कब्जा जमा लिया। बैठक के दौरान भी रूस और यूक्रेन के बीच हमले जारी रहे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध फरवरी 2022 से चल रहा है। इस युद्ध को तीन साल से भी ज्यादा समय हो गया है। यूक्रेन तबाही की ओर बढ़ रहा है तो रूस को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अलास्का बैठक के बाद यद्यपि ट्रम्प और पुतिन दोनों ने गोलमोल जवाब दिये। अगली बैठक के लिए पुतिन ने ट्रम्प को मास्को आमंत्रित किया। कुछ दिन पहले ट्रम्प पुतिन को पानी पी-पी कर कोस रहे थे। युद्ध नहीं रोके पर रूस को गम्भीर परिणामों की धमकियां दे रहे थे लेकिन अलास्का में ट्रम्प ने पुतिन से ऐसी दोस्ती दिखाई जैसे बिछड़े हुए दो दोस्त वर्षों बाद मिल रहे हों। ट्रम्प ने पुतिन के लिए रेड कार्पेट बिछाया और ऐसा शानदार स्वागत किया, जैसा एक राष्ट्र अध्यक्ष दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष का स्वागत करता है। जो दृश्य दिखाई दिए उससे एक बार फिर धारणा कायम हुई कि क्या ट्रम्प यूक्रेन को धोखा दे रहे हैं। कूटनयिक क्षेत्रों में इस बात की चर्चा है कि पुतिन से बातचीत के बिन्दुओं को लेकर ट्रम्प ने जेलेंस्की को भागीदार तक नहीं बनाया। जब बातचीत हो चुकी तो जेलेंस्की को बातचीत के लिए वाशिंगटन बुला लिया। यह दस्तूर है कि बड़ी शक्तियां हमेशा आपस में समझौता कर लेती है और नुकसान हमेशा छोटे देशों को भुगतना पड़ता है। अलास्का बैठक के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों में ट्रम्प की आलोचना हो रही है कि जिस पुतिन को वे युद्ध अपराधी करार दे रहे थे उसी के साथ अब दोस्ती क्यों। बैठक के बाद ट्रम्प का यह बयान भी चर्चा का विषय है कि यूक्रेन को रूस से समझौता करना चाहिए। रूस बहुत बड़ा देश है। ट्रम्प चाहते हैं कि जेलेंस्की रूस को कब्जाई हुई जमीन देकर शांति समझौता कर ले। कुल मिलाकर अलास्का बैठक में पुतिन ने बाजी मार ली है। व्लादिमीर पुतिन पूरी तैयारी के साथ अमेरिका पहुंचे थे। उनका विजन एकदम साफ था। वह अपने साथ कारोबारियों और आर्थिक सलाहकारों का प्रतिनिधिमंडल लेकर भी पहुंचे थे। ऐसा लगता था कि वह यूक्रेन पर बात करने नहीं बल्कि किसी बिजनेस डील के लिए अमेरिका गए थे। एक तरफ अमेरिका रूस के साथ व्यापार करने वाले भारत पर भड़ककर टैरिफ लगा रहा है तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में अमेरिका और रूस के बीच व्यापार में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के व्यापार में 20 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पुतिन ने कहा कि अमेरिका और रूस दोनों के ही पास एक दूसरे के लिए कई ऑफर हैं। ट्रम्प इस समय लीडर कम और ट्रेडर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। भारत की इस बैठक पर नजर थी और उसने बैठक का स्वागत भी किया था। भारत बैठक के नतीजों का इंतजार कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि बैठक से कुछ दिन पहले अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने धमकी दी थी कि अगर ट्रम्प और पुतिन की बातचीत में कुछ नतीजा निकल कर नहीं आया तो भारत पर और अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है लेकिन पुतिन किसी दबाव में आने को तैयार नहीं। ट्रम्प की दलील यह थी कि जितना भारत पर दबाव बनाया जाएगा उतना ही पुतिन झुकेंगे। पुतिन ने अलास्का बैठक में शामिल होकर अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी कूटनीतिक छवि फिर से बहाल कर ली है। पुतिन अब कह सकते हैं कि वह वैश्विक राजनीति की मुख्यधारा में लौट आए हैं। उन्हें कितना भी अलग-थलग करने की कोशिश की जाए वह सफल नहीं हो सकती। रूस भी यह अच्छी तरह जानता है कि अगर उसे ट्रम्प का समर्थन मिल जाए तो वह यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी मदद रोक देंगे और अमेरिका और रूस आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। ट्रम्प शांति के साथ-साथ व्यापार समझौते भी चाहते हैं। ट्रम्प अपनी ही बातों में उलझ कर भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पुतिन की बातों से स्पष्ट है कि वह अपनी शर्तों पर ही ट्रम्प के साथ बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पुतिन जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प हर मुद्दे को व्यापार के लैंस से देखते हैं। इसलिए व्लादिमीर पुतिन भी फायदे का सौदा दिखाकर डोनाल्ड ट्रम्प के साथ डील करना चाहते हैं। पुतिन का पहला लक्ष्य है सुरक्षा का आश्वासन हासिल करना। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा जरूरी है और हम मिलकर उसे बचाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि पुतिन नहीं चाहते कि नाटो देशों की उपस्थिति यूक्रेन में हो। भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाना ट्रम्प की बातचीत की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें हमेशा एक ही पैटर्न रहा है। दूसरे पक्ष को परेशान करने के लिए लगातार टैरिफ की बड़ी संख्या थोपते रहो और फिर बातचीत की मेज पर बढ़त हासिल करो। चीन को भी 145 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ा, जिसके बाद टैरिफ घटकर 30 प्रतिशत पर आ गया और यूरोपीय संघ को अपनी अंतिम टैरिफ वार्ता से ठीक पहले 30 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी गई, जो समझौता होने के बाद घटकर 15 प्रतिशत रह गया। कुल मिलाकर पुतिन ट्रम्प की बाजी पलटने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं। ट्रम्प कह सकते हैं कि वह शांति की दिशा में आगे बढ़े हैं। अब मास्को में होने वाली बैठक का इंतजार है। मानवता की रक्षा के? लिए युद्ध खत्म होना ही चाहिए। भले ही वह रूस की शर्तों पर हो।

बिहारी जी कॉरिडोर का विवाद

काफी रस्साकशी के बाद वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनने का रास्ता साफ हो गया। योगी सरकार ने इस मंदिर के प्रबंधन के लिए न्यास भी गठित कर दिया। जिसमें मंदिर की बागडोर अब पूरी तरह सरकार के हाथ में है। मंदिर के सेवायत गोस्वामियों के परंपरा से चले आ रहे दो समूहों - राजभोग सेवा अधिकारी और शयन भोग सेवा अधिकारी में से मात्र एक-एक प्रतिनिधि इस न्यास का सदस्य रहेगा। इस पूरे विवाद में वृंदावन का समाज दो भागों में बंटा हुआ था। एक तरफ थे सेवायत गोस्वामी व उनके परिवार, बिहारीपुरा के बाशिंदे और आसपास के दुकानदार, जिनकी संपत्तियां प्रस्तावित कॉरिडोर के दायरे में आ रही हैं। दूसरी तरफ वृन्दावन के आम नागरिक और बाहर से आने वाले दर्शनार्थी। जहां पहला पक्ष कॉरिडोर के विरुद्ध आंदोलन करता आया है। वहीं दूसरा पक्ष कॉरिडोर का स्वागत कर रहा है। इस विषय में बहुत से गोस्वामीगणों ने मुझसे भी संपर्क किया और इस विवाद में मेरा समर्थन मांगा। कई कारणों से मैं इस मामले में उदासीन रहा। इसकी वजह यह थी कि 2003-2005 के बीच जब मैं इस मंदिर का अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर यानी प्रशासक था तो मैंने मंदिर की अव्यवस्थाओं को सुधारने का सफल प्रयास किया था, पर गोस्वामियों का सहयोग नहीं मिला। 30 जून 2003 को मैंने बिहारी जी के मंदिर का कार्यभार संभाला और 1 अगस्त को हरियाली तीज थी। इस दिन उत्तर भारत से लाखों भक्त स्वर्ण हिंडोले में बैठे श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने आने वाले थे। मंदिर के कुछ पुराने गोस्वामियों ने मुझे चुनौती दी कि मैं ये व्यवस्था नहीं संभाल पाऊंगा। ठाकुर जी पर निर्भर होकर चुनौती स्वीकार की और ये पता लगाया कि क्या-क्या समस्याएं आती हैं। सबसे बड़ी समस्या थी, बिहारी जी तक जाने वाले पांचों मार्गों से आने वाली अपार भीड़। दूसरी समस्या थी, मंदिर के प्रवेश द्वार पर जूते-चप्पलों का पहाड़ बन जाना। तीसरी समस्या थी, लोगों की जेब कटना और सोने की चेन खींचना। चौथी समस्या थी, महिलाओं के साथ भीड़ का दुर्व्यवहार। मैं फौरन दिल्ली गया और छतरपुर स्थित कात्यायनी देवी के मंदिर के प्रबंधक तिवारी जी से मिला। जो हर नवरात्रि पर लाखों दर्शनार्थियों की भीड़ संभालते थे। उन्होंने बताया कि एसपीजी के कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी भीड़ प्रबंधन की एजेंसी चलाते हैं। उनसे संपर्क किया और उन्हें वृन्दावन बुलाया। मथुरा के तत्कालीन जिलाधिकारी सुधीर श्रीवास्तव और एसएसपी सत्येन्द्र वीर सिंह से लगभग दो सौ सिपाही मांगे और इतने ही स्वयंसेवक अपने संगठन 'ब्रज रक्षक दल' के बुलाये। इन चार सौ लोगों को मोदी भवन में भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशिक्षित किया। इस कार्य में मान मंदिर के युवा साधुओं का विशेष सहयोग मिला। विपिन व्यास ने सुझाव दिया कि मंदिर आने और जाने का एक-एक ही मार्ग रखा जाये और बाकी मार्ग बंद कर दिए जाएं। इसके अलावा विद्यापीठ के चौराहे पर दस हजार टोकन के साथ जूता घर बनाया गया। जिसमें सेवा करने चांदनी चौक दिल्ली के युवा व्यापारी आये। एसपीजी के इन अधिकारियों ने मंदिर के प्रांगण से विद्यापीठ चौराहे तक पूरे मार्ग को दस सैक्टरों में बांट दिया और वॉकी-टॉकी से हर सैक्टर के दर्शनार्थियों को क्रमानुसार आगे बढ़ाया। महिलाओं और बुजुर्गों की सहायता के लिये हर सैक्टर में 'ब्रज रक्षक दल' के स्वयं सेवक तैनात किये गए।

मृत्यु भोज देना या उसमें भाग लेना दंडनीय अपराध है! -जाना पड़ सकता है जेल!

वैश्विक स्तरपर दुनियां में भारत ही एक ऐसा देश है जहां हजारों समाज, लाखों जातियां, उपजातियां धर्म व आध्यात्मिक आस्था की जड़ कहा जाता रहा है, जिसकी गिनती विदेशों में भारतीय खूबसूरती की विशेषताओं में से एक है। कई सैलानी इस अनोखी व्यवस्था को देखने ही भारत यात्रा पर आते है और कहते है काबिल-ए-तारीफ! इसी कारण ही भारत धर्मनिरपेक्ष देश की ताकत से प्रसिद्ध है। मैं एडवोकेट किशन सम्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र, मानता हूं के भारतीय रीति रिवाज को हर समाज स्तर पर अलग अलग रूप से लागू किया जाता रहा है,परंतु बहुत सी कुरीतियां और रिवाज ऐसे हैं जो करीब करीब हर समाज जाति में कॉमन है, उन्हें में से एक है, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उस परिवार में 13 दिवसीय शोक मनाया जाता है तथा अंतिम दिन को, 13 वीं या 12 वीं दिन के रूप में अंतिम दिन मृत्यु भोज दिया जाता है, जिसे समाज स्तर व पारिवारिक व रिश्तेदारों के लोग शामिल होते है। परंतु समय के बदलते परिवेश में आजकल समय अभाव के कारण समाज में अपने-अपने समय अनुसार मृत्यु भोज दिया जाता है, तो अनेक समाजों में यह मृत्यु भोज केवल पारिवारिक व रिश्तेदारी तक सीमित कर दिया गया है, जो कि इस प्रकार के नियम समझो कि पंचायत द्वारा ही बनाए गए है, जो मेरा मानना है कि काफी हद तक उन्नत भी है।हमारी राइस सिटी गोंदिया नगरी के कुछ समाजों के प्रबुद्ध नागरिकों से इस मृत्यु भोज के विषय पर मेरी लंबी चर्चा हुई तो, उन्होंने कहा हमारे समाज में मृत्यु भोज प्रतिबंधित है परंतु समाज के लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों तक सीमित रूप से मृत्यु भोज की रस्म करते रहते हैं। यह चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आज 16 अगस्त 2025 को एक महिला ने डिस्पोजल शॉप पर बताया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, वह उसकी 13 वीं में मृत्यु भोज कर रहे हैं। पूरे 13 दिवसीय शोक में एक लाख रुपए से अधिक खर्च आ गया है, व मृत्यु भोज पर भी करीब 40-50 हजार रुपए खर्च होगा। उन्होंने कहा कि वह यह मृत्यु भोज नहीं करना चाहती है परंतु कुछ समाज के लोगों ने कहा इससे समाज वाले उंगली उठाएंगे,बदनाम करेंगे, व सामाजिक प्रतिष्ठा कम होगी! इसलिए मैं यह सब कर रही हूं बस! इसलिए मैंने आज इस विषय पर आर्टिकल लिखने की सोचा और मैंने फिर इस पर रिसर्च शुरू की तो,मुझे राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 मिला, जिसके तहत मृत्यु भोज देना या उसमें भाग लेना दंडनीय अपराध है, जेल जाना पड़ सकता है। उसमें 1 साल की सजा या 1000 रुपए जुर्माना की सजा है।दरअसल 13 दिसंबर 2023 तारीख को राजस्थान पुलिस की एक सोशल मीडिया पर पोस्ट मिली जिसमें लिखा था, मृत्यु भोज करने और उसमें शामिल होना कानून दंडनीय अपराध है। मानवीय दृष्टिकोण से भी यह आयोजन अनुचित है, इसलिए आओ मिलकर इस कुरीति को समाज के से दूर करें, इसका विरोध करें।चूंकि राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत मृत्यु भोज कानून दंडनीय अपराध है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे पारिवारिक सदस्य की मृत्यु पर 13 दिवसीय शोक पर मृत्यु भोज को कुरीति/रीति/धार्मिक संस्कार पर बस छिड़ी। राष्ट्रीय स्तरपर इसका समाधान होना जरूरी है। साथियों बात अगर हम मृत्यु भोज की करें तो, हिंदू परिवारों में मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए परिजन अंतिम संस्कार के बाद विधि विधान से तेरह दिन पर तेरहवीं के रूप में मृत्यु भोज सकते है, मगर राजस्थान पुलिस का फरमान देख लगता है कि यह लोगों का अधिकार नहीं बल्कि अपराध है। राजस्थान पुलिस ने 13 दिसंबर की सुबह सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया था - मृत्यु भोज करना और उसमें शामिल होना कानून दंडनीय है। मानवीय दृष्टिकोण से भी यह आयोजन अनुचित है,तो क्या किसी को भोज दे ही नहीं?असल में मृत्यु भोज ऐक्ट आज का नहीं है, यह 1960 से है। इसमें साफ लिखा है कि मृत्यु भोज देना या उसमें भाग लेना दंडनीय अपराध है। सजा के रूप में एक साल तक का या एक हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें साफ है कि धार्मिक संस्कार के तहत रखे गए भोज में सौ से ज्यादा लोगों की संख्या नहीं होनीचाहिए। एक्ट को इतने साल बीत गए मगर हकीकत यह है कि लोग इसके बारे में जानते भी नहीं। राजस्थान पुलिस के ट्वीट पर भी कई लोगों की प्रतिक्रिया थी कि क्या ऐसा भी कोईकानून है? ऐसा कहने वाले भी कम नहीं थे कि यह उनका निजी विषय है। एक ने एक्स पर लिखा-ऐसे हिंदू विरोधी कानून बंद करो।यह हिंदू धर्म के लिए ठीक नहींइसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती। हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से ही करता है। तो कुछ लोगों ने इसके समर्थन में भी पोस्ट किया। एक ने लिखा-हमारे यूपी में भी ऐसा कानून होना चाहिए!

मरने के बाद धर्म संकट में डालकर लूटने वालों की दुकानों पर ताला लगना चाहिए,राजस्थान में कुरीति बन चुकी है मृत्यु भोज?लोगों के तर्क से बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या शोकाकुल परिजनों को मृत्यु भोज के लिए धर्म संकट में डाला जाता है? राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार ने सबसे पहले पुलिस को ट्रोल करने वालों को जवाब दिया। वह बताते है-ट्रोल करने वालों में ज्यादातर लोग प्रदेश के बाहर के हैं। शायद इन्हें नहीं पता होगा कि राजस्थान में कुकता कानी मृत्युभोज कितनी बड़ी कुरीति रही है। राजस्थान में शादियों में ढाई-तीन हजार लोगों को आमंत्रित किया जाता है और मृत्युभोज में भी इतनी ही तादाद में भोज कराने का दबाव रहता है। बेशक खाने के आइटम शादी के मुकाबले थोड़े कम होते हैं। यहां तक कि अगर घर में किसी युवा शख्स की मौत होती है तो भी इतना बड़ा भोज करने का दबाव रहता है। यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को भावनात्मक और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर कर देता है। कई बार तो कर्ज लेना पड़ जाता है। पुलिस की कानूनी बंदिश यह कहती है कि आप सौ-सवा सौ से ज्यादा लोगों को भोज न दें। साथियों बात अगर हम राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 की मुख्य धाराओं की करें तो, परिभाषा - इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -(ए) मृत्यु भोज का अर्थ है किसी व्यक्ति के निधन के अवसर पर या उसके संबंध में किसी भी अंतराल पर आयोजित या दी जाने वाली दावत और इसमें एक नुक्ता, एक मोसर और एक चहल्लुम शामिल है,और (बी) मृत्यु भोज आयोजित करने या देने में तैयार या बिना तैयार भोजन की वस्तुओं का वितरण शामिल है, लेकिन इसमें धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष संस्कारों के पालन में परिवार के लोगों या पुरोहित वर्ग के व्यक्तियों या फकीरों को खाना खिलाना शामिल नहीं है, जो कि इससे अधिक नहीं है। कुल मिलाकर सौ व्यक्तियों की संख्या।(3) मृत्यु भोज का निषेध-राज्य में कोई भी व्यक्ति मृत्यु भोज आयोजित नहीं करेगा,न देगा,न शामिल होगा, न ही भाग लेगा।(4) धारा 3 के उल्लंघन के लिए सजा- जो कोई भी धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या ऐसे किसी भी उल्लंघन को करने के लिए उकसाता है, उकसाता है या सहायता करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों के साथ।

(5) निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति- यदि धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने में सक्षम न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मृत्यु भोज की व्यवस्था की गई है या होने वाली है या दी जाने वाली है तो ऐसी अदालत आयोजन पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकती है या ऐसे मृत्यु भोज देना (6) धारा 5 के तहत निषेधाज्ञा की अवज्ञा के लिए सजा- जो कोई भी, यह जानते हुए कि धारा 5 के तहत एक आदेश जारी किया गया है, ऐसे निषेधाज्ञा की अवज्ञा करेगा, उसे एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।इस अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी हस्तक्षेप के किसी भी उल्लंघन पर एक वर्ष या पांच रुपये तक की सजा का प्रावधान किया गया है।1000/ - या दोनों (7) सरपंच आदि जानकारी देने के लिए बाध्य (1) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 21) के तहत स्थापित ग्राम पंचायत के सरपंच और प्रत्येक पंच और प्रत्येक पटवारी और लंबरदार धारा 4 या के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम निकटतम मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचित करने के लिए बाध्य होंगे। धारा 6 कोई भी जानकारी जो उसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर ऐसे अपराध को करने या करने के इरादे के संबंध में उसके पास हो।(2) ऐसे किसी भी सरपंच, पंच, पटवारी या लंबरदार को उप-धारा (1) के तहत आवश्यक जानकारी देने में विफल रहने पर तीन महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।यह धारा सरपंच और प्रत्येक पंच या ग्राम पंचायत, पटवारी और लंबरदार के लिए धारा 6 में से 5 के तहत अपराध की जानकारी निकटतम प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य बनाती है, यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे दंडित भी किया जा सकता है और इस धारा के तहत दोषी ठहराए जाने पर 3 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों।(8) पैसा उधार लेने या उधार देने पर रोक(1) कोई भी व्यक्ति मृत्यु भोज आयोजित करने या देने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति से धन या सामग्री उधार नहीं लेगा या उधार नहीं देगा।(2)इस जानकारी के साथ या यह विश्वास करने का कारण होने पर कि दिए गए ऋण का उपयोग मृत्यु भोज रखने या देने के उद्देश्य से किया जाएगा, दिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए प्रत्येक समझौता शून्य होगा और कानून की अदालत में लागू नहीं किया जाएगा।

(9) अपराध का क्षेत्राधिकार और संज्ञान- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, या उस पर मुकदमा नहीं चलाएगी।(10) अभियोजन के लिए परिसीमा- कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान उस तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं लेगी जिस दिन अपराध होने का आरोप लगाया गया है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि मृत्यु भोज देना या उसमें भाग लेना दंडनीय अपराध है! - जाना पड़ सकता है जेल! राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत मृत्यु भोज कानून दंडनीय है।पारिवारिक सदस्य की मृत्यु पर 13 दिवसीय शोक पर मृत्यु भोज को कुरीति/रीति या धार्मिक संस्कार इसपर बहस छिड़ी-राष्ट्रीय स्तरपर इसका समाधान होना जरूरी है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कदम ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ [illegible] एस. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया संपादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/08863)

हरियाणा सरकार का कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला

हड़ताल की अवधि को माना अर्जित अवकाश

चंडीगढ़।

हरियाणा सरकार ने साल 2023 में हड़ताल पर गए लिपिकों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। अब इस हड़ताल अवधि को उपार्जित अवकाश (लीव ऑफ दी काइंड ड्यू) माना जाएगा। साथ ही, हड़ताल अवधि का न तो वेतन काटा जाएगा और न ही इस अवधि को सेवा में बाधा (ब्रेक इन सर्विस) के रूप में नहीं माना जाएगा। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार भी है, द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि हड़ताल पर जाने से पूर्व अर्जित अथवा संचित 'अर्जित अवकाश' को सर्वप्रथम समायोजित किया जाएगा, इसके पश्चात 'हाफ पे लीव' जाएगा। अर्जित अवकाश और 'हाफ पे लीव' की कटौती के बाद भी यदि हड़ताल अवधि शेष रहती है तो अग्रिम अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाएगा, जिसे संबंधित लिपिकों के भविष्य में अर्जित होने वाले अवकाश खाते से समायोजित किया जाएगा। पत्र में कहा गया है कि यह छूट केवल एक बार की विशेष व्यवस्था के तौर दी जा रही है और इसे भविष्य में मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाएगा। ये निर्देश केवल कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों, खास तौर पर लिपिकों पर लागू होंगे, जिन्होंने उस विशेष हड़ताल में भाग लिया था। ये निर्देश अन्य किसी भी मामले में लागू नहीं होंगे। तदनुसार, विभागों में कार्यरत एसएएस कैडर से सत्यापन के उपरांत वेतन जारी किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सभी प्रशासकीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, सभी मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों (नागरिक) और खजाना अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

अग्रोहा को मिलेगी विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर नई पहचान

पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर के केंद्र के रूप में होगा अग्रोहा का विकास, बनेगा अत्याधुनिक संग्रहालय
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुरातात्विक स्थल के विकास की प्रगति को लेकर की समीक्षा बैठक

चंडीगढ़।

हरियाणा सरकार द्वारा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अग्रोहा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के लिए इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक धरोहर के केंद्र के रूप विकसित किया जा रहा है। इसके तहत अग्रोहा में अत्याधुनिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, जहां खुदाई से प्राप्त पुरावशेषों को संरक्षित और प्रदर्शित किया जाएगा। यह संग्रहालय आगंतुकों को क्षेत्र की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने के साथ-साथ उन्हें एक ज्ञानवर्धक और आकर्षक अनुभव भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई बैठक में अग्रोहा पुरातात्विक स्थल के विकास की प्रगति के संबंध में समीक्षा की गई।

बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, पूर्व मंत्री डॉ. कमल गुप्ता, श्री असीम गोयल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्रोहा, महाराजा अग्रसेन की राजधानी होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक और सांस्कृतिक स्थल है। इसके विकास से यह न केवल आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य के रूप में भी उभरेगा।

अग्रोहा विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश

श्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि हिसार-अग्रोहा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट ऑथोरिटी द्वारा एक समग्र मास्टर प्लान तैयार किया जाए, जिसमें अग्रोहा को एकीकृत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की विस्तृत रणनीति शामिल हो।

साथ ही, अग्रोहा पुरातात्विक स्थल के आसपास स्थित टीलों की जियो टैगिंग कर उस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए, ताकि इन टीलों को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाया जा सके। बैठक में जानकारी दी गई कि अग्रोहा में लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से खुदाई का कार्य किया जा रहा है। खुदाई से पूर्व संभावित क्षेत्रों की ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) सर्वेक्षण कराया गया, जिसके आधार पर उत्खनन आरंभ किया गया। अब तक खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यह पता लगता है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत के ऐतिहासिक परिदृश्य को एक नई पहचान देगा।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, विरासत एवं पर्यटन विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती कला रामचंद्रण, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यशपाल, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक श्री अमित खत्री और हिसार के उपायुक्त श्री अनीश यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

29वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति में लिए कई एवं निर्णय

पानी बचाने पर दिया गया जोर
प्रगतिशील किसानों ने भी बैठक में की शिरकत
बैठक में आगामी योजनाओं की रूपरेखा भी की गई तैयार

पानीपत।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के अंतर्गत कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र में सोमवार को 29वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन एवं अन्य संबद्ध विभागों के अधिकारी व जिले के प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे। इसका उद्देश्य केंद्र की पूर्ववर्ती गतिविधियों की समीक्षा एवं आगामी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना था। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर मंडल विस्तार शिक्षा निदेशक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार डॉ. बलवान सिंह ने शिरकत की। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिए पानी बचाने की बहुत आवश्यकता है। केवीके को धान के सीधी बीजाई पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए तथा धान के सीधी बीजाई पर किसानो के खेतो पर प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में किसानों की आय वृद्धि के लिए समन्वित कृषि विकास मॉडल को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने

कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर फार्मिंग सिस्टम अप्रोच को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही, उन्होंने किसानों को नवीनतम तकनीकों से अवगत कराने के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की सिफारिश की। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र, पानीपत के संयोजक डॉ. सतपाल सिंह ने भी विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान आधारित जानकारी को किसानों तक पहुँचाना है। हमारी कोशिश है कि किसान बदलते जलवायु, कीट-रोग प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य सुधार, और बाजार की मांग के अनुसार खेती करें ताकि उनकी लागत घटे और लाभ बढ़े। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र द्वारा समय-समय पर फसल प्रदर्शन, प्रशिक्षण शिविर, महिला किसान कार्यक्रम, और युवाओं के लिए कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने विशेष रूप से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और जल संरक्षण तकनीकों पर भी बल दिया। बैठक के दौरान उद्यानिकी एवं मत्स्य पालन विभागों के अधिकारियों ने भी अपने विभागों की गतिविधियों, योजनाओं और किसानों से संवाद के तरीकों की जानकारी दी। समिति ने किसानों तक नवीनतम कृषि तकनीकों और ज्ञान को पहुँचाने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में यह भी तय किया गया कि आगामी समय में केंद्र द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी प्रदर्शन, फील्ड दिवस, एवं किसान मेला जैसे आयोजनों को और प्रभावी बनाया जाएगा। वैज्ञानिक सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार, कृषि विज्ञान केंद्र आने वाले समय में किसान हितैषी गतिविधियों को और गति देगा। सामूहिक प्रयासों और बहु-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से ही कृषक उत्पादकता एवं ग्रामीण समृद्धि को साकार किया जा सकता है।

जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण वर्षा शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक

पानीपत। वर्ष 2025 को मध्यस्थता फॉर द नेशन अभियान के अंतर्गत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-कम-सचिव, जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण वर्षा शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्रम निरीक्षक बलजीत मलिक, लीड बैंक मैनेजर राज कुमार, थाना महिला प्रभारी अंजली, उप-मंडल अधिकारी, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, सनौली, पानीपत सम्मिलित हुए। बैठक का उद्देश्य अधिविवाद-पूर्व (परी लिटिगेशन) अवस्था में अधिकतम संख्या में मामलों को जिला मध्यस्थता केन्द्र को संदर्भित करने हेतु विभागीय समन्वय और रणनीति तैयार करना था, ताकि नागरिकों को तीव्र, सुलभ एवं किफायती न्याय प्रदान किया जा सके तथा न्यायालयों में लंबित वादों का भार कम किया जा सके। बैठक में सभी उपस्थित अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वे अपने-अपने विभागों में उत्पन्न विवादों को यथासंभव, अधिविवाद-पूर्व अवस्था में मध्यस्थता केन्द्र को भेजने हेतु सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे।

अधिकारी कम से कम समय में करें नागरिकों की शिकायतों का समाधानः एसडीएम मनदीप

समस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम है जनता समाधान शिविर- निगम संयुक्त आयुक्त डॉ संजय
जनता के भरोसे को बनाए रखें अधिकारी- डी एसपी सतीश वत्स
शिविर में पहुंची विभिन्न विभागों से जुड़ी 62 समस्याएं, निगम संयुक्त आयुक्त ने कहा हर समस्या का समय पर होगा समाधान
समाधान शिविर में बिजली, पुलिस, पैंशन, क्रीड विभाग से जुड़ी समस्याएं पहुंची।

पानीपत।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रदेश के हर वर्ग की सुध लेकर उनकी तकलीफों को समझ कर उन पर प्रशासन द्वारा संज्ञान लेने के निर्देशों पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का मानना है कि जब तक लोगों की समस्याएं रहेंगी वो सशक्त कैसे हो सकते है। अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना सरकार का उद्देश्य है। इसी कड़ी के तहत जिला व उपमंडल स्तर पर समाधान शिविरों का लगातार आयोजन हो रहा है। निगम संयुक्त आयुक्त डॉ संजय ने सोमवार को जिला सचिवालय के सभागार में जनता समाधान शिविर में जन समस्याओं की सुनवाई करते हुए कहा कि समाधान शिविर जनता की समस्याओं के निदान का सशक्त माध्यम है। इसका फायदा आम जन को अधिकारियों की मेहनत से मिल रहा है। समाधान शिविर में जो समस्या एक बार पहुंच जाती है उसका निश्चित रूप से समाधान होता है। संयुक्त आयुक्त ने कहा कि अधिकारियों को मन व लगन से समाधान शिविर में आने वाली समस्याओं का निदान करना चाहिए। एसडीएम मनदीप ने कहा कि ये समाधान शिविर प्रशासन द्वारा जन कल्याण के लिए लगाये जा रहे है ये समाधान शिविर हर प्रकार के भेदभाव से दूर है व सबका लक्ष्य व उद्देश्य जनता को राहत प्रदान करना और उनकी समस्याओं का कम से कम समय में समाधान करना है। पुलिस उप अधीक्षक सतीश वत्स (हेड क्वार्टर) ने जन समस्याओं की सुनवाई करते हुए कहा कि जनता का हम पर भरोसा ही हमारी जीत है। जिस भरोसे के साथ नागरिक समाधान शिविर में अपनी समस्याओं के निदान के लिए आते है उनकी समस्याओं पर विभाग के अधिकारी संज्ञान ले रहे है। उनकी कठोर मेहनत का लाभ शिकायतकर्ताओं को निश्चित रूप से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी समाधान शिविर के लिए निर्धारित किये गए इन दो घंटो में शिविर में आने वाली समस्याओं को लेकर किसी भी तरह की कोताही न बरतें। शिविर में विश्वसनीयता के साथ एक जिम्मेदार अधिकारी का फर्ज निभा कर समस्याओं का निवंहन करें।

समाधान शिविर में ज्यादातर समस्याएं फैमली आईडी में आय कम करवाने, पुलिस और क्रीड, निगम व पैंशन विभाग से जुड़ी 62 समस्याएं आई। एसडीएम ने सभी अधिकारियों के सहयोग से समाधान के निर्देश दिए। प्रार्थी रामनिवास वासी कैथ ने गली को पक्का करवाने के लिए प्रशासन से प्रार्थना की।

उन्होंने कच्ची गली से आ रही समस्याओं के बारे में भी प्रशासन को अवगत कराया। प्रार्थी लीलावती ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाने की अपील की। उन्होंने बताया कि उनका बड़ा व छोटा मंगलसूत्र और सोने की झाला गायब हो गए। अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थी रामनारायण वासी अटावला ने कृषि बिजली कनेक्शन को काटने की जांच अधिकारियों से करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थी अजय खटीक बस्ती ने प्रशासन से विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने का अनुरोध किया। प्रार्थी पूनम वासी भादर ने प्रशासन से अनुरोध किया कि उनका कटा हुआ राशन कार्ड दोबारा से चालू किया जाए ताकि उन्हें सरकार की योजना का लाभ मिल सके। प्रार्थी सुमित्रा वासी बुआना लाखु ने पानी की वजह से मकान गिरने पर दोबारा मकान बनवाने की लिए प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग रखी।

प्रार्थी सोदापुर कालोनी निवासियो ने स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग प्रशासन से की। उन्होंने बताया कि पर स्पीड ब्रेकर की अभाव में किस तरह से दुर्घटनाएं घट रही है। प्रार्थी यशपाल ने बाजार में शौचालय पर लेटर बनाने वाले पर कार्रवाई करने की अपील की। इस मौके पर डीएमसी अरुण भार्गव, जन स्वास्थ्य विभाग कार्यकारी अभियंता करण बहल, अनुज मत्स्य विभाग, सहायक अभियंता सुधीर, डीएस डब्ल्यू जापान हुडा, डिप्टी सीएमओ दिव्या साहनी, एसडीओ सुबेसिंह, कंप्लेंड अधिकारी सुरेश, संजीव शर्मा, जोगिंदर सिंह के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

नकली कीटनाशक बेचने वालों की खैर नहीं : इस घटना के बाद मंत्री शिवराज ने लिया ये फैसला, अफसरों को सौंपा ये टास्क

नई दिल्ली । नकली खाद-बीज और कीटनाशकों की बिक्री के मामले में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को कृषि मंत्री ने इसी संदर्भ में मंत्रालय में बैठक ली। इसमें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मंत्री चौहान ने नकली खाद-बीज व कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा, किसानों की फसलें खराब होने को सभी अधिकारी अत्यंत गंभीरता से अधिकारी लें, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने अफसरों से व्यापक पैमाने पर छापेमारी और खेतों में जाकर जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। नकली खाद-बीज और कीटनाशकों के कारण कोई एक नहीं, बल्कि विभिन्न जिलों में सैकड़ों किसान परेशान हो रहे हैं। कई जगह से ऐसी शिकायतें आती हैं, किसान बोलते हैं कि खेत में दवाई डाल रहे हैं पर इसका असर नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत चिंतित हूं। इन किसानों की पीड़ा को गंभीरता से समझा जाना चाहिए। उन्होंने बैठक में बताया कि मैंने रविवार को खुद किसान के खेत में जाकर देखा है। एक दवाई किसान ने डाली, जिसके कारण सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। कल जब मैंने खेत में देखा तो सैकड़ों किसान वहां मौजूद थे। इन सबने मुझे शिकायतें की परेशानी बताई। बाजार में ऐसी घटिया या नकली दवाई, खाद-बीज बेचने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी लेते हुए मंत्री ने कहा कि नकली खाद, बीज और कीटनाशक किसानों के लिए अभिशाप है। शिवराज सिंह ने कहा कि हम हमारे किसानों को लूटते हुए नहीं देख सकते। मंत्री शिवराज सिंह ने निर्देश दिए कि कृषि विभाग का अमला राज्य सरकारों के साथ किसानों के खेतों में जाकर जांच करें और अभियान चलाकर व्यापक पैमाने पर आकस्मिक छापेमारी कर कड़ी कार्रवाई करें। सैंपल लिए जाएं व फेल होने पर कार्रवाई करें। जो कंपनी या निर्माता गड़बड़ियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे तो गड़बड़ करने वाले लोगों में भय पैदा होगा और किसानों को राहत मिलेगी। गड़बड़ी मिलने पर फैक्ट्रियां व दुकानें सील की जाएं। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो किसानों के हित में कड़ी कार्रवाई करना हमारा धर्म है। अगर कहीं गलत हो रहा है तो नहीं होने दें, यह हमारी ड्यूटी है, जिसका पालन हमें करना है। मंत्री शिवराज सिंह ने इस संबंध में किसानों की शिकायतों को भी सुनने के साथ उनका पूरा समाधान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि प्राप्त शिकायतों की वे स्वयं नियमित समीक्षा करेंगे। उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ बात करके किसानों के मामले में पूरी संवेदना के साथ प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। वहीं इस संबंध में किसानों के बीच जागरूकता का प्रचार भी व्यापक रूप से करने के दिशा-निर्देश दिए, ताकि किसान परेशान होने से बच सकें। विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान भी किसानों के बीच प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि किसान नुकसान और परेशानी से बच सकें। शिवराज सिंह ने एक अन्य विषय में पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, मैकेनाइजेशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी सहायता का कृषि विभाग की टीमों के द्वारा सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह चेक किया जाना चाहिए कि पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, मैकेनाइजेशन के लिए केंद्र से दी जा रही सब्सिडी का लाभ किसानों को वास्तविक रूप से कितना मिल रहा है। केंद्र से सब्सिडी की योजनाओं का लाभ समय से मिलना चाहिए।

एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मिले पीएम मोदी

नई दिल्ली ।

एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, भूपेंद्र यादव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उन्हें रिसीव करने पहुंची थी. बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद रविवार (17 अगस्त 2025) को उन्हें एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, सीपी राधाकृष्णन जी से

एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दीं. पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने हमेशा राष्ट्र की सेवा की है.

मुलाकात की. एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं. उनकी लंबी जनसेवा और विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव हमारे राष्ट्र को समृद्ध करेगा. ईश्वर करे कि वे उसी समर्पण और

राष्ट्र के काम आएगा उनका अनुभव-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहें जो उन्होंने हमेशा दिखाया है. एनडीए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पीएम मोदी ने रविवार (17 अगस्त 2025) को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने हमेशा हाशिये पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और अपने समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से एक अलग पहचान बनाई. उन्होंने ने कहा कि राधाकृष्णन ने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक काम किया और उन्हें खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का फैसला किया है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उम्मीद जताई कि विपक्षी दल एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेंगे. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो जिसके लिए हमने विपक्षी नेताओं से संपर्क किया है.

जवाबदेही से भाग रहा ईसी- कांग्रेस

नई दिल्ली ।

वोट चोरी और बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग के जवाब पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने पलटवार किया है। कांस्टीट्यूशन क्लब में हुई प्रेसवार्ता में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी जवाबदेही से भाग रहा है। वहीं सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से बार-बार हलफनामा मांग रहा है, लेकिन हम 2018 में ही कई बार चुनाव आयोग को शिकायत के साथ हलफनामा दे चुके हैं। मगर आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। आयोग हमारी शिकायतों को नजरअंदाज करता है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों

चुनाव आयोग को घेरने फिर सामने आया विपक्ष

का जवाब देने में असमर्थ है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। महाराष्ट्र में मतदाता सूची में नाम बढ़ाए गए हैं। कर्नाटक के महादेवपुरा में मतदाता सूची में विसंगतियां हैं। जबकि वीडियो डाटा हटाने पर चुनाव आयोग चुप है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग उन अधिकारियों के हाथों में है जो विपक्ष द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप की जांच नहीं कर रहे हैं। गौरव गोगोई ने कहा कि कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों पर सवाल उठाए,

सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से बार-बार हलफनामा मांग रहा है, लेकिन हम 2018 में ही कई बार चुनाव आयोग को शिकायत के साथ हलफनामा दे चुके हैं। मगर आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की।

जब उन्हें यह बताना पड़ा कि वे जल्दबाजी में एसआईआर क्यों करा रहे हैं? चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर पर चुप रहा। वे इस बात पर भी चुप रहे कि लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच 70 लाख नए मतदाता कैसे जुड़े? समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से बार-बार हलफनामा मांग रहा है, लेकिन हम 2018 में ही कई बार चुनाव आयोग को शिकायत के साथ हलफनामा दे चुके हैं। चुनाव आयोग का यह कहना कि निराधार शिकायतें की जा रही हैं। कोई हलफनामा नहीं दिया गया है। यह गलत है। यूपी में वोट काटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह सब सोची-समझी रणनीति के तहत किया जाता है और चुनाव आयोग हमारी शिकायतों को नजरअंदाज करता है। यह एक गंभीर मुद्दा है।

मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर हंगामा और तोड़फोड़, सेना के जवान को पीटने पर भड़का ग्रामीणों का गुस्सा

मेरठ । भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपिल निवासी गांव गोटका के साथ हुई मारपीट का मामला गर्मा गया है। गोटका के सैकड़ों लोगों ने सोमवार को टोल प्लाजा पर हंगामा, तोड़फोड़ और नारेबाजी कर दी। पुलिस ने आकर स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं थे। ग्रामीण टोल वसूली एजेंसी को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि देश की सुरक्षा में तैनात जवान के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना बेहद शर्मनाक है। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों की ढिलाई मामले को और गंभीर बना रही है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को हिरासत में लिया। इसके बावजूद ग्रामीणों का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ गया। सोमवार को सैकड़ों ग्रामीण टोल प्लाजा पर एकत्र हुए और धरने पर बैठ गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने टोल प्लाजा को पूरी तरह फ्री करा दिया और किसी भी वाहन से शुल्क नहीं वसूलने दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ कर दी। कई बैरिकेड्स और खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। टोल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और कई कर्मचारी मौके से भाग गए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक टोल कर्मचारियों की बर्खास्तगी नहीं की जाती, तब तक धरना जारी रहेगा। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के साथ-साथ टोल प्रबंधन को भी कठोर कदम उठाने होंगे।

यूपी माफिया मुक्त नहीं, महामाफिया बन गया है : अखिलेश यादव

लखनऊ । समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल में जबरन वसूली गिरोह संचालित करने के आरोप में कानपुर में एक वकील गिरफ्तारी का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। यादव ने 'एक्स पर पोस्ट कर कहा, ''उत्तर प्रदेश में भाजपाई भ्रष्टाचार का त्रिकोण- फर्जी 'एनकाउंटर वाली भ्रष्ट भाजपा सरकार, काली कमाई वाले भाजपा संरक्षित भ्रष्ट अधिकारी, दोनों की करतूतों को छिपाने वाला भ्रष्ट भाजपाई वकील। अखिलेश यादव ने कहा, ''हजारों करोड़ कमाने वाले भ्रष्टाचारी को न ड्रोन देख पाया, न दूरबीन में वो नजर आया, मामला भी तब खुला जब आपस में ही रंगदारी का धंधा सामने आया। अब देखते हैं कि इस भाजपाई भू-माफिया के अवैध कब्जों पर बुलडोजर अपने आप चलता है या हमारी इस पोस्ट के प्रकाशित होने के बाद या फिर कोई सबसे बड़ा रंगदार, इन सबसे वसूलकर मामला रफा-दफा कर देगा। सपा अध्यक्ष ने कहा, ''उत्तर प्रदेश 'माफिया मुक्त होने का दावा करने वाले अब कहां हैं? सच तो ये है कि उत्तर प्रदेश 'माफिया मुक्त नहीं हुआ है, बल्कि माफिया किसी एक में समाकर 'महामाफिया बन गया है।

संसद परिसर में विपक्षी दलों का प्रदर्शन, बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर हंगामा

नई दिल्ली ।

संसद के मानसून सत्र के बीच सोमवार को विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा की जा रही मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को संदिग्ध बताते हुए विरोध जताया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने किया। खरगे के साथ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), द्रमुक (डीएमके), वामपंथी दलों, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और समाजवादी पार्टी (एसपी) के सांसद भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारी सांसदों ने संसद के मकर द्वार के

बाहर बड़े-बड़े बैनर और पोस्टर थाम रखे थे। इन बैनर पर लिखा था- वोट चोरी बंद करो, वहीं हाथों में लगे पोस्टरों पर वोट चोर, गद्दी छोड़, एसआईआर बंद करो जैसे शब्द लिखे थे। बता दें कि विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की यह कवायद दरअसल बिहार में मतदाताओं को सूची से बाहर करने की चाल है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाया जा सके। कांग्रेस

नेता नसीर हुसैन ने मीडिया से कहा कि विपक्ष हर लोकतांत्रिक तरीका अपनाएगा, ताकि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) का पद केवल निष्पक्ष और ईमानदार व्यक्ति के हाथों में रहे। सूत्रों के अनुसार, विपक्ष इस मामले को और आगे बढ़ाने के लिए सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रहा है। विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। उनका कहना है कि बिहार में यह संशोधन अभ्यास जनता के वोट छीनने की साजिश है। इसे लेकर हर दिन विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के परिणामस्वरूप, 21 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में अब तक यादातर कामकाज ठप रहा है। मानसून सत्र में सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को छोड़कर, संसद की कार्यवाही बार-बार स्थगित हो रही है और महत्वपूर्ण विधायी काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि वे सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव बनाए रखेंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक चाहता है कि संसद में इस पर खुली बहस हो और बिहार समेत पूरे देश में मतदाता सूची से छेड़छाड़ की किसी भी संभावना को रोका जाए।

लोकसभा/सरकारी संपत्ति तोड़ने का अधिकार नहीं, निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी, विपक्ष को ओम बिरला की चेतावनी

नई दिल्ली । लोकसभा में नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों को चेतावनी देते हुए अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को उनसे कहा कि वे जिस तीव्रता से नारे लगाते हैं, उसी तीव्रता से सवाल भी उठाएं। उन्होंने कहा कि इससे देश के लोगों को कुछ लाभ होगा। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सांसदों से कहते सुने जा सकते हैं कि जिस जोर से आप नारे लगा रहे हैं, उसी जोर से सवाल भी पूछेंगे तो देश की जनता का भला होगा। जनता ने आपको सरकारी संपत्ति नष्ट करने के लिए नहीं भेजा है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं और आपको चेतावनी देता हूं कि किसी भी सदस्य को सरकारी संपत्ति नष्ट करने का विशेषाधिकार नहीं है। ओम बिरला ने सांसदों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान

पहुंचाया तो उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। ओम बिरला ने कहा, अगर आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे कुछ निर्णायक कदम उठाने होंगे और देश की जनता आपको देखेगी। कई विधानसभाओं में ऐसी घटनाओं के लिए सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मैं आपको फिर से चेतावनी देता हूं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) समेत कुछ मुद्दों पर लोकसभा में सोमवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों को सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की चेतावनी दी। एक बार के स्थगन के बाद सदन की बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक कागजात प्रस्तुत कराए।

इस बीच ही विपक्षी सांसद एसआईआर के मुद्दे पर शोर-शराबा करने लगे। हंगामे के बीच ही वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। बाद में सदन ने इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। शोर-शराबे के बीच ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। पीठासीन सभापति संध्या राय ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामा नहीं थमने पर पीठासीन सभापति ने कार्यवाही पांच मिनट बाद ही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी।

महाराष्ट्र के नांदेड़ में फटा बादल, 15-16 जिलो में अलर्ट, सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले- फसलों को नुकसान

मुंबई ।

महाराष्ट्र के नांदेड़ में मौसम का कहर देखने को मिला. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बातचीत में सोमवार (18 अगस्त) को कहा कि नांदेड़ के मुखेड तालुका में बादल फटने जैसी घटना हुई. मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है. उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है. नदियों के जलस्तर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. 1 लाख हेक्टर से ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा. 200 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं. उन्होंने बताया कि मुंबई के कुछ जगहों पर 170 एमएम से ज्यादा बारिश हुई. सीएम ने कहा कि लोकल ट्रेनें बंद नहीं हुईं लेकिन उनकी गति धीमी हो गई.

एक जगह सेना को भी लगाया गया- गिरीश महाजन

महाराष्ट्र के इमरजेंसी मैनेजमेंट मिनिस्टर गिरीश महाजन ने कहा कि राज्य में कल दोपहर से बारिश हो रही है. 4-5 लोग नहीं मिल रहे हैं. छानबीन जारी है. वो भी मिल जाएंगे. कुछ जिलों में रेड अलर्ट है. कहीं ऑरेंज अलर्ट भी है. नांदेड़ में ज्यादा बारिश हुई है. गांव पानी से घिरे हैं और रेस्क्यू जारी है. एक जगह सेना को भी लगाया गया है.

जलगांव सबसे प्रभावित जिला- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश के संदर्भ में कंट्रोल रूम से संवाद साधा गया. 18 से 21 अगस्त के बीच और अधिक बारिश होने की संभावना है. अंबा-जगबुडी नदी चेतावनी स्तर तक पहुंच गई है. वशिष्ठी नदी पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. तापी और हतनूर में अधिक पानी आने से रावेर क्षेत्र में पानी घुस गया है. जलगांव सबसे अधिक प्रभावित जिला है.

केरल में फैला घातक ब्रेन डिजीज- बच्ची की मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर

नई दिल्ली । केरल के कोझिकोड जिले में हाल ही में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने आम लोगों से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक को सतर्क कर दिया है। यहां 9 साल की एक बच्ची की दुर्लभ और बेहद घातक बीमारी अमीबिक इंसेफेलाइटिस के चलते मौत हो गई है। यह बीमारी आमतौर पर गर्म और मीठे पानी के प्राकृतिक स्रोतों-जैसे नदियों, झीलों और झरनों-में पाए जाने वाले एक सूक्ष्म जीव ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण होती है। जानकारी के अनुसार, बच्ची को 13 अगस्त को तेज बुखार और सिरदर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार न होने पर अगले ही दिन उसे कोझिकोड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसकी हालत और गंभीर हो गई। दुर्भाग्यवश 14 अगस्त को बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी।

उत्तर भारत में भारी बारिश से हरिद्वार में गंगा और दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप, प्रशासन ने अलर्ट किया जारी

नई दिल्ली ।

मानसून की जबरदस्त बारिश ने उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी तबाही मचा दी है। उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रशासन ने आपात स्थिति घोषित करते हुए अलर्ट जारी किया है और राहत-बचाव कार्यों को तीव्र गति से अंजाम देने लगा है। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन और दिल्ली के कई निचले इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

हरिद्वार में गंगा चेतावनी स्तर से ऊपर

उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर 293.10 मीटर दर्ज किया गया है, जो चेतावनी स्तर से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर है। सिंचाई विभाग के एसडीओ भारत भूषण शर्मा ने बताया कि लगातार हो रही बारिश और बैराज से छोड़े गए पानी के कारण गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यदि जलस्तर में और वृद्धि होती है तो तटीय इलाकों के गांवों में पानी घुस सकता है। स्थानीय प्रशासन ने हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास के घाटों पर लोगों से दूर रहने की अपील की है। रविवार देर रात से जारी झमाझम बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे कई बाजारों और रिहायशी क्षेत्रों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मथुरा-वृंदावन में यमुना ने डुबोए घाट

हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी का असर मथुरा और वृंदावन में साफ नजर आ रहा है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कुंभ क्षेत्र और देवरा बाबा घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। कई अन्य घाटों की सीढ़ियां भी पानी में समा गई हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी है।

दिल्ली में यमुना का बढ़ा जलस्तर

राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर सोमवार को 205.33 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से ऊपर है। अधिकारियों का अनुमान है कि देर रात तक यह जलस्तर 206 मीटर तक पहुंच सकता है। दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने राहत और बचाव कार्यों की तैयारियां तेज कर दी हैं। यमुना में 30 नावें तैनात की गई हैं और बोट क्लब व पुराने रेलवे ब्रिज के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 2023 में यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया था, जिससे राजधानी के कई हिस्सों में पानी भर गया था और हजारों लोग प्रभावित हुए थे। इस बार भी हालात गंभीर होते नजर आ रहे हैं।

हथिनीकुंड बैराज के पास भूमि कटाव

अधिकारियों के अनुसार यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण हथिनीकुंड और वजीराबाद बैराज से छोड़ा जा रहा पानी है। रविवार को हथिनीकुंड बैराज से करीब 1.78 लाख क्यूसेक और वजीराबाद बैराज से हर घंटे लगभग 36,170 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इन बैराजों से छोड़ा गया पानी दिल्ली तक पहुंचने में 48 से 50 घंटे का समय लेता है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथिनीकुंड बैराज के पास भूमि कटाव की घटना सामने आई है, जहां तीन एकड़ सागवान का जंगल यमुना में समा गया। हालांकि फिलहाल आसपास के गांवों को कोई बड़ा खतरा नहीं है।

प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 19 से 21 अगस्त तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मलबा बहाव का खतरा बना रहेगा। देश के विभिन्न राज्यों में नदियों का उफान और भारी बारिश ने चिंता बढ़ा दी है।

प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है और राहत-बचाव दलों को पूरी तरह सतर्क रखा गया है।

लोगों से अपील की गई है कि वे नदियों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें।